कार्यालय अध्यक्ष जांच निराकरण एव निस्तारण समिति हे.न.ब.ग.वि.वि. श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड) 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

पत्रांकः हे.न.व.ग.वि.वि/जांच समिति (का.प.) 2021/02 दिनांकः 23/6/21

सेवा में

माननीया कुलपति जी
हे.न.ब.ग.वि.वि. श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड) 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विषयः नियम नीति प्रपत्र का प्रेषण **(CIRCULAR)**

महोदया,

कार्य परिशद की बैठक दिनांक 13 मार्च 2021 के एजेंडा संख्या 124 में लिए गए निर्णय के अनुसार एवं विश्वविद्यालय के पत्रांक हे.न.ब.ग.वि.वि./प्रशासन (शैक्षिक)/2021/007 दिनांक 30/04/2021 के सन्दर्भ में कार्यपरिषद द्वारा प्रत्यावेदनों की जांच, निराकरण एवं निस्तारण हेतु निर्धारित नियम/नीति परिपत्र (CIRCULAR) पत्रांक हे.न.ब.ग.वि.वि/जांच समिति (का.प.) 2021/01 दिनांकः 22/6/21 आपके पास संलग्न करतें हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सादर

संलगनकः उक्तवत |

प्रो. (डा.) के. सी. शर्मा
अध्यक्ष
जांच निराकरण एवं निस्तारण समिति

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड) 246174
(केन्द्रीय विष्वविद्यालय)

पत्रांकः हे.न.ब.ग.वि.वि/जांच समिति (का.प.) 2021/01 दिनांकः 22/6/21

नियम नीति परिपत्र (CIRCULAR)

विश्वविद्यालय के पत्रांक हे.न.ब.ग.वि.वि/प्रशासन (शैक्षिक)/2021/007 दिनांक 03/04/2021 के संदर्भ एंव कार्य परिशद की बैठक दिनांक 13 मार्च 2021 के एजेंडा संख्या 124 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय एवं कार्यपरिशद में समय–समय पर विभिन्न संस्थानों, शिक्षकों एंव शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं छात्र–छात्राओं के द्वारा प्रेषित किए गए प्रत्यावेदनों की जांच, निराकरण एंव निस्तारण हेतु कार्यपरिषद द्वारा गठित समिति द्वारा नियम नीति निर्धारित करने हेतु प्रथम बैठ़क समिति के अध्यक्ष प्रो. (डा.) कैलाश चन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में (आनलाइन) दिनांक 27/4/2021 को सम्पन्न हुई जिस में समिति के दोनों माननीय सदस्यगण प्रो. आदित्य शास्त्री जी तथा प्रो. सुमित्रा कुकरेती जी उपस्थित रहे जिसमें प्रश्नगत प्रकरण के सभी पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुए नियम/नीति तैयार करते हुए तत्पश्चात दिनांक 2/5/2021, 4/5/2021 एंव 1/6/2021 तथा 22/6/2021 को समिति द्वारा परस्पर विचार विमर्श एंव गहन परिचर्चा उपरान्त इसे अन्तिम रुप दिया गया तथा सर्व सम्मति से निम्नांकित नियम नीति निर्धारित की गई।

1. प्रश्नगत समिति गढ़वाल विश्वविद्यालय जांच एंव निराकरण तथा निस्तारण समिति कहलाएगी जो विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त महत्वपूर्ण शिकायती प्रत्यावेदनों की जांच, निराकरण एवं निस्तारण करेगी।

2. विश्वविद्यालय एंव कार्यपरिषद में समय–समय पर विभिन्न संस्थानों, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं विद्यार्थीयों द्वारा प्रेषित किए गए प्रत्यावेदन जांच, निराकरण एवं निस्तारण हेतु कुलपति/कुलसचिव के माध्यम से यथा शीघ्र समिति को प्रेषित किये जायंगे।

3. विश्वविद्यालय का कोई विभागध्यक्ष या संकायाध्यक्ष/डीन यदि अपने दायित्वों का नियमानुसार सम्यक निर्वहन नहीं करता/करती हैं और यदि उसके पद पर बने रहने से विश्वविद्यालय के समुचित विकास एवं कार्यों के सफल संचालन में बाधा उत्पन्न होती है या उसके किसी कृत्य या कृत्यों से विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो रही है या गोपनियता भंग होती है तो ऐसी स्थिती में कुलपति इस समिति को ऐसे प्रकरण आरव्या सहित स्वंय प्रेषित कर सकेंगे जिनपर समिति नियमानुसार जांच कराकर दोषी पाये जाने की स्थिती में यथोचित निर्णय लेगी जिसका अनुपालन विश्वविद्यालय प्रषासन सुनिश्चित करेगा।

4. किसी भी प्रकार की चयन समिति में, चयन समिति के किसी भी निर्णय से यदि चयन समिति का कोई सदस्य/पदाधिकारी असहमत है तो वह अपनी असहमती (नोट ऑफ डिसेन्ट) उसी समय लिखित रुप में दर्ज कराएगा तथा चयन समिति का निर्णय सभी का सामूहिक निर्णय समझा जायेगा तथा चयन समिति का कोई भी सदस्य चयन गोपनीयता भंग नही करेगा।

5. जांच एवं निराकरण तथा निस्तारण समिति का कार्यालय हे.न.ब.ग.वि.बि. श्रीनगर में होगा जिसकी बैठकें समिति द्वारा आवश्यकतानुसार एवं सुविधानुसार अन्य स्थान पर की जा सकेंगी तथा कोविड–19 जैसे संक्रमण अथवा अन्य अपरिहार्य परिस्थितीयों में समिति की बैठक (ऑनलाइन)

अथवा अन्य पद्धति द्वारा की जा सकेगी जो विधि मान्य होंगी, यदि समिति की बैठक अथवा किसी जांच के प्रयोजन से समिति का कोई पदाधिकारी या अध्यक्ष द्वारा निदेर्षित व्यक्ति विश्वविद्यालय कैम्पस अथवा अन्यत्र जाता है तो उसे नियमानुसार यात्रा भत्ता (टी.ए.डी.ए.) एवं मानदेय देय होगा जिस पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय का भुगतान विश्वविद्यालय करेगा।

6. विश्वविद्यालय प्रशासन प्रश्नगत समिति के लिए एक समुचित कार्यालय, उपकरण तथा समय–समय पर जांच के प्रयोग हेतु आवश्यक सामग्री तथा कार्यालय एवं रिकॉर्ड की देखभाल तथा समिति के कार्य सहयोग हेतु उसके निर्देशन में कार्य हेतु एक उपकुलसचिव स्तर का अधिकारी तथा अन्य आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था करेगा तथा इस पर होने वाले सम्पुर्ण वित्तीय व्यय भार वहन करेगा।

7. समिति के विरूद्ध यदि कोई किसी भी प्रकार का वाद, किसी भी स्थान पर, किसी भी न्यायालय में योजित होता है तो ऐसी स्थिती में उसका सम्पूर्ण हर्जा–खर्चा एंव व्ययभार वादव्यय सहित विश्वविद्यालय वहन करेगा।

8. समिति किसी भी ऐसे संवेदनशील प्रकरण पर जिससे विश्वविद्यालय या उसके परिसर एवं समबद्ध महाविद्यालयों की छवि धूमिल होना प्रतीत होता है या विश्वविद्यालय के सफल संचालन में बाधा उत्पन्न होना परिलक्षित होता है तो उस स्थिती में कुलाधिपति/कुलपति के परामर्श पर स्वतः संज्ञान लेकर जांचोपरांत विश्वविद्यालय प्रशासन को समुचित आवश्यक निर्देष प्रेषित करेगी जिसका अनुपालन विश्वविद्यालय प्रशासन सुनिश्चित करेगा।

9. समिति को किसी भी प्रकार की जांच के लिए नियमानुसार स्वतंत्र एवं पृथक जांच समिति गठित करके जांच कराने, शिकायतकर्ता से शपथपत्र एंव अन्य पत्राचार आवश्यक पत्राजात प्राप्त करने, जांच शुल्क निर्धारित करने, झूठी एवं फर्जी एंव आधारहीन शिकायतों एव प्रत्यावेदन पर जाचोपरांत दंडात्मक कार्यवाही करने जिसमे अर्थदण्ड निर्धारित करने का अधिकार भी सम्मिलित होगा।

10. समिति के नियम/नीति, निर्देष तात्कालिक हैं, जिनमें भविष्य की परिस्थितीयों के अनुरूप विश्वविद्यालय हित में आवश्यक होने पर आवश्यकता अनुसार कुलपति/कुलाधिपति/कार्यपरिषद में से किसी के भी परामर्शानुसार, संशोधित करने हेतु समिति यदि आवश्यक समझती है तो तदानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रो. सुमित्रा कुकरेती)
सदस्य
सी – 46–47,
"नीलकन्ठ", सुरेश शर्मा नगर
बरेली, उत्तर प्रदेश

(प्रो.(डा.) कैलाश चन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
डी–11, सेक्टर–49
नोएडा, उत्तर प्रदेश